09.02.18	वकील प्रार्थी उप० । अप्रार्थी श्री ओर से श्री राजेश मित्तल Ad. उपस्थित आये । प्रा-पत्र वाजदावी पर बहस सुनी गई । प्रा-पत्र वाजदावी स्वीकार किया जाता है । प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 21 मध्यस्थम पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	(21/2/18)